

बिहार सरकार  
खान एवं भूतत्व विभाग

सं0सं0-02/एम0एम0(बा0)-04/17-430/एम0 पटना, दिनांक 23.1.18  
प्रेषक,

E-mail

विश्वजीत दौ,  
उप निदेशक (मु0)।

सेवा में,

सहायक निदेशक,  
जिला खनन कार्यालय, पटना

विषय:- बालूघाटों के सीमांकन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में निदेशानुसार कहना है कि पुनरीक्षण वाद संख्या-  
1/2018 एवं अन्य वादों में खान आयुक्त न्यायालय द्वारा मेसर्स ब्रॉडसन कॉमोडिटीज  
प्रा0लि0 द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त घाटों के लिए नापी कराते हुए सीमांकन कराने का  
आदेश दिया गया है।

उक्त आदेश के आलोक में आपकी देख-रेख में सीमांकन कार्य सम्पन्न कराने  
हेतु निम्नवत् समिति गठित की जाती है:-

1. श्री अरबिन्द उपाध्याय - खनिज विकास पदाधिकारी (संविदा)
2. श्रीमती/सुश्री एकता जायसवाल - खनिज विकास पदाधिकारी (संविदा)
3. श्रीमती/सुश्री सुमन कुमारी - खनिज विकास पदाधिकारी (संविदा)
4. श्रीमती/सुश्री बीणा कुमारी - खनिज विकास पदाधिकारी (संविदा)
5. श्रीमती/सुश्री सारिका गुप्ता - खनिज विकास पदाधिकारी (संविदा)

अतः सभी पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त घाटों का सीमांकन करा प्रतिवेदन फोटोग्राफ  
के साथ दिनांक 23.01.2018 तक अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध करावें।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वसभाजन

उप निदेशक (मु0)।

ज्ञापांक:-430/एम0, पटना, दिनांक 23.1.18

प्रतिलिपि:-सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप निदेशक (मु0)।